

राजस्थान सरकार  
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर  
W-6, गौरव पथ, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर (राज.)



क्रमांक: प.सं.7(11)/प्रवेश/1001/प्र-1/2021/12303

दिनांक:-01-12-2021

अति आवश्यक

आचार्य/अधीक्षक,  
राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,  
(समस्त)।

विषय:- प्रवेश सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश पोर्टल पर रिपोर्टिंग तिथि बढ़ाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डी.जी.टी. भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश कार्यक्रम आदेश क्रमांक:- DGT-12/1/2020-TC दिनांक:-23-11-2021 एवं प्रा.शि.नि. राजस्थान जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापित आदेश क्रमांक:-प.सं.7(11)/प्र-1/केन्द्रीप्रवेश/2021/12228 दिनांक:-24.11.2021 की अनुपालना में प्रवेश की अंतिम तिथि 30.11.2021 निर्धारित की गई है। निदेशालय द्वारा राज्य के समस्त राजकीय/प्राइवेट आई.टी.आई. को पत्र क्रमांक:- प.सं.7(11)/प्रवेश/1001/प्र-1/2021/12271-72 दिनांक:-29.11.2021 द्वारा तय समय सीमा अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की रिपोर्टिंग करने हेतु चेतावनी पत्र भी जारी किया गया था। जिसके उपरान्त राज्य के कई संस्थानों द्वारा ई-मेल द्वारा निदेशालय को उनके संस्थान में रिपोर्टिंग से वंचित रहे प्रशिक्षणार्थियों के बारे में अवगत कराया गया है।

अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुये संस्थान द्वारा रिपोर्टिंग की तिथि दिनांक:-02.12.2021 प्रातः 11:00 से दिनांक:-03.12.2021 रात्रि 12:00 बजे तक बढ़ाई जाती है। अतः समस्त संस्थान प्रधान/संस्थान प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि अगर तय समय सीमा पर प्रशिक्षणार्थियों की रिपोर्टिंग नहीं करवाई जाती है तो समस्त जिम्मेवारी संस्थान की होगी।

भवदीय,

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्रवेश/1001/प्र-1/2021/12304

दिनांक:- 01-12-2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपनिदेशक प्रशिक्षण